फर्द अहकाम

अज अदालत –जिला कलक्टर,–मुकाम –भरतपुर

नरोत्तम सैनी **बनाम** लोक सूचना अधिकारी ई.ओ. नगर पालिका

किस्म मुकदमा–अपील आर.टी.आई. नम्बर ..18.. सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
12.4.23.	प्रार्थी / अपीलान्ट नरोत्तम सैनी पुत्र उमेश चन्द, रेल्वे ए कबिन के पास वेयर हाउस रोड बयाना, पो. बयाना जिला भरतपुर ने आर टी आई के तहत यह अपील लोक सूचना अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका बयाना के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। प्राप्त अपील का अवलोकन किया गया। अपील के साथ सलंग्न फोटो प्रति पत्रादि से जाहिर है कि प्रार्थी ने आर.टी.आई. के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र में लोक सूचना अधिकारी अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका बयाना द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण, आरटीआई के तहत यह अपील इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। आर.टी.आई. एक्ट के तहत लोक सूचना अधिकारी अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका बयाना के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार अध्यक्ष, नगर पालिका बयाना को है। अतः प्राप्त मूल अपील को लौटाई जाकर अपीलार्थी को लिखा जावे कि वह नियमानुसार सीधे ही अध्यक्ष, नगर पालिका बयाना को अपील प्रस्तुत करें। पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर भरतपुर	361 2/6/23